

फर्द अहकाम

शंकरलाल वगै० बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या: 230/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.07.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम हरध्यानपुरा पटवार हल्का देवलिया अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि के तकासमा पूर्व खसरा नंबर 28, 29, 30, 31, 32 33, 291, 292 का बटवारा वर्ष 2020 में करवाया गया था, बटवारे अनुसार सभी खातेदारों को हिस्सा अनुसार कृषि भूमि दी गई थी, जिसमें तरमीम संलग्न तकासमें नक्शों अनुसार नही की गई है, जिससे प्रार्थी खातेदार को भूमि संलग्न नक्शों अनुसार नहीं मिली है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि तरमीम दुरुस्ती संलग्न तकासमें नक्शों अनुसार करवाने के आदेश प्रदान करें।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में सुना गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया एवं अंत में निवेदन किया कि ग्राम हरध्यानपुरा पटवार हल्का देवलिया अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि के तकासमा पूर्व खसरा नंबर 28, 29, 30, 31, 32 33, 291, 292 का बटवारा वर्ष 2020 में करवाया गया था, बटवारे अनुसार सभी खातेदारों को हिस्सा अनुसार कृषि भूमि दी गई थी, जिसमें तरमीम संलग्न तकासमें नक्शों अनुसार नही की गई है, जिससे प्रार्थी खातेदार को भूमि संलग्न नक्शों अनुसार नहीं मिली है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि तरमीम दुरुस्ती संलग्न तकासमें नक्शों अनुसार करवाने के आदेश प्रदान करें।</p> <p>बहस प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थीगण की वाके ग्राम हरध्यानपुरा पटवार हल्का देवलिया अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि के राजस्व नक्शा की तरमीम पूर्व में ग्राम हरध्यानपुरा पटवार हल्का देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 28, 29, 30, 31, 32 33, 291, 292 का सहमति से हुये विभाजन नक्शों के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

